

काशीनग

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

[उत्तर प्रदेश, साहारनपुर]

संख्या- प्राविध/परिषद्/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या/दिनांक: 09/08/2021

:-काशीनग काय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्शी कंसल्टिंग और इन्फिन्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु हिस्सेदार स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनग से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश सम्बन्धित पुदि सहित अन्य सटी पर विचार कराते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संघनग द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अविद्य प्रवेश सम्मत हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1141-DOON COLLEGE OF EDUCATION, SUNDERPUR, SAHARANPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	स०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था स०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनर पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सभस द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेश प्रमादी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही

किया जाना आवश्यक होगा। कैंस निरीक्षण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की कार्यवाही करे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (30वें प्रविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। शीटों के त्रुटि उठने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आनामनी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कनाबे गये विधिविधियों/अधिविधियों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्रविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा कनाबे गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. जूड़े दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करती हैं असफल होती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में आ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंधक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कठनिश्चितता प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कठनिश्चितता के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों/विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्ट्राक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाना जाता शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्रत्याहारा उपलब्ध कराने के साथ रैमिड रोसले के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पस्तायित/संचालित पाठ्यक्रम को चलावे जारी हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करावे गये अभिलेख, भूमि-खत, कर्तब, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जावेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मुनीब कुमार खान)

सचिव

सू/सां/0- प्रशिक्षण/परिषद् सम्बन्धित/2021/3538-4509

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठान:-

सहायक प्राथमिक शिक्षक, DOON COLLEGE OF EDUCATION, SUNDERPUR, SAHARANPUR



(मुनीब कुमार खान)

सचिव